राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग
(पंचायती राज)

सं. एफ.4(7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2012/135 जयपुर, दिनांक : 11-2-2013

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिये इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 157 का संशोधन.**- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात्, प्ररूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :-

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल :

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिए । 100/- रु.

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिए । 200/- रु.

(ii) उपयुक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित ज़िला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी बाज़ार दरों का 25 प्रतिशत :

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड(क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी ।"

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

(किशन लाल बाडेटिया)

शासन उप सचिव।

प्रतिलिपि:–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र(असाधारण) के भाग 4(सी)(ज़ी.एस.आई.आर.) के उपखण्ड 1 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर ।
3. निजी सचिव, राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज0, जयपुर ।
8. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, पंचायती राज विभाग/ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर ।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद समस्त, राजस्थान
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव ।